न्यायालयः– सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	तनवीर चौधरी आर.जे.एस. (डी.जे.केडर)
वि.फौ.प्र.सं.	–	346/2026
सी.आई.एस. नम्बर	–	373/2026
C.N.R. Number	–	RJHG010010232026

रेशमा उर्फ संतरो पत्नी श्री रामगोपाल उम्र 57 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 1 चक 16 एस.एस.डब्ल्यू. मेहरवाला पुलिस थाना तलवाड़ा जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीया/अभियुक्ता

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना, तलवाड़ा की प्राथमिकी सं0 56/2026 से संबंधित विद्वान अतिरक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टिब्बी का नम्बरी फौजदारी प्रकरण सं0 417/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 118(1)(2), 117(2), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितिः–
श्री रामकुमार खटोड़, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से।
श्री पार्थ बिश्नोई, विद्वान अधिवक्ता– परिवादी की ओर से।
श्री मनोज कुमार शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

–आदेश– **दिनांकः– 02.06.2026**

1. विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिब्बी द्वारा पुलिस थाना, तलवाड़ा की प्राथमिकी सं0 56/2026 से संबंधित नम्बरी फौजदारी प्रकरण सं0 417/2026 में प्रार्थीया/अभियुक्ता रेशमा उर्फ संतरो की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 14.05.2026 को खारिज किये जाने पर उसकी ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर नकल प्रार्थना पत्र विद्वान लोक अभियोजक को देकर पत्रावली तलब कर उभय पक्ष की बहस जमानत आवेदन सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 27.03.2026 को समय 09:00–09:15 एएम भर्तीशुदा आहत गोविन्द कुमार ने पर्चा बयान इस आशय का दर्ज करवाया कि दिनांक 25.03.2026 को वे चिनाई का काम कर रहे थे एवं उनकी दीवार के दूसरी तरफ श्री शिशपाल के प्लाट में उनकी ईंटे पड़ी थी, को उठाने के लिये वह दीवार की दूसरी तरफ से ईंट उठाकर मजदूरों को पकड़ा रहा था। वक्त करीब 1:15–1:30 बजे दोपहर की बात है कि अचानक रामगोपाल पुत्र लिछमणराम कुम्हार जिसके हाथ में लोहे का कापा था, दिनेश पुत्र रामगोपाल जिसके हाथ में लोहे की रॉड़ व सीता पुत्री रामगोपाल, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी तथा सन्तरो उर्फ रेशमा पत्नी रामगोपाल,

जिसके हाथ में लाठी थी, एकराय होकर आये व आते ही उसे रोककर रामगोपाल ने कापा की चोट उसके सिर पर मारी, जिससे उसके खून आने लगा, वह नीचे गिर गया तो सीता ने कुल्हाड़ी की चोट मारी, तब उसने बचाव के लिये अपना बांयां हाथ आगे किया तो हथेली पर कुल्हाड़ी की चोट लगी व दिनेश तथा सन्तरो देवी उर्फ रेश्मा भी उसके साथ मारपीट करने लगे, तब उसने बचाओ–2 का रौला मचाया तो उसके पिताजी दीवार फांदकर उसे छुड़ाने आये तो उक्त चारों उसे छोड़कर उसके पिताजी के साथ मारपीट करने लगे रामगोपाल व सन्तरो उर्फ रेशमा व दिनेश ने मारपीट की, जिससे पिताजी के सिर में चोट लगने से खून आने लगा व पैर पर रॉड की चोट लगने से पैर टूट गया व पिताजी का हाथ भी टूट गया। मारपीट करते समय सन्तरो उर्फ रेशमा बार बार कह रही थी कि दोनों को जिन्दा नहीं जाने देंगे। फिर उनके मजदूर रणजीत ने दीवार फांदकर उन दोनों को रामगोपाल आदि से बीच बचाव कर छुड़ाया। उसके व उसके पिताजी के ज्यादा चोट होने के कारण शीशपाल पुत्र लिछमणराम उनकी कार में बिठाकर ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में भर्ती करवाया...आदि। उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना, तलवाड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 56/2026 दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया/अभियुक्ता का तर्क रहा है कि पुलिस गवाहान गोविन्द कुमार द्वारा प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा लाठी की चोट मारना बताया है, परन्तु प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा मजरूबान के किस स्थान पर चोट पहुंचायी गई, इस बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं है। आहतगण के कारित चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। गवाहान द्वारा मात्र लाठी से चोट कारित किया जाना बताया गया है, जो कि घातक हथियार नहीं है। इससे पहले सह–अभियुक्ता सुनीता उर्फ सीता की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है, परन्तु उसका प्रार्थना–पत्र चार्जशीट से पूर्व पेश किया गया था। अब प्रकरण में चार्जशीट पेश हो चुकी है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता एक महिला है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्त लम्बे समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 118(1)(2), 117(2), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के गंभीर आरोप हैं। हस्तगत प्रकरण में परिवादी/मजरूब गोविन्द राम के कुल 6 चोटें और मजरूब भगवानाराम के कुल 9 चोटें कारित की गई है। प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा लाठी से चोट कारित की गई है, जो कि सिर में चोट कारित की गई है। परिवादी/मजरूबान के गंभीर प्रकृति की चोटें कारित हुई है। मजरूब भगवानाराम के प्राणघातक चोटें कारित हुई है। प्रार्थीया/अभियुक्ता व सह–अभियुक्तगण का मारपीट करने का कॉमन इरादा था। प्रार्थीया/अभियुक्ता के

विरूद्ध आरोपित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत के प्रावधानों का लाभ प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अनुसार प्रार्थीया/अभियुक्ता के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी रिपोर्ट निम्न है :–

S.No	FIR No. & PS	Case No.	Under Section	Date of Institution	Status	Date of Arrest	Date of Release
	–	–	–	–	–	–	–

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी गोविन्द कुमार व उसके पिता भगवानाराम के साथ मारपीट कर साधारण व गंभीर प्रकृति की चोटें कारित करने एवं मजरूब भगवानाराम के साथ मारपीट कर उसकी हत्या करने का प्रयत्न करने का धारा 115(2), 126(2), 118(1)(2), 117(2), 109, 3(5) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है। पत्रावली के साथ संलग्न चोट प्रतिवेदन से मजरूब भगवानाराम के सिर जैसे मार्मिक अंग पर चोट कारित किया जाना प्रकट होता है, जो कि प्राणघातक होना बतायी गई है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। सह–अभियुक्ता की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अस्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रार्थीया/अभियुक्ता को जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता रेशमा उर्फ संतरो की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

MANISH KUMAR

STENO GRADE Ist
Digitally signed by MANISH KUMAR
Date: 2026.06.05 11:24:35 +0530